कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक–825 /14–1 , (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 19, दिसम्बर, 2016

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

विषयः– अलीगढ़–मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच0–93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 250 वृक्षों के पातन बुलन्दशहर में किमी0 126.00 से 133.860 तक 3.5760 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 61 वृक्षों के पातन सम्भल में किमी0 142.200 से 205.000 तक 32.7792 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.000 से 232.000 तक 14.4852 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1213/14–1 दिनांक–23.11.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 के किमी0 85.700 से किमी0 232.00 तक दो–लेन चौड़ीकरण हेतु जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर, सम्भल, मुरादाबाद में पड़ने वाले प्रभाग से अच्छादित वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का सम्भल वन प्रभाग द्वारा निराकरण निम्न प्रकार किया जा रहा है–

कम सं0	आपत्ति	उत्तर
1	**S.No-18** In Social Forestry Division Aligarh case additional compensatory affiorestation on blank patches near road side has been provided. The additional compensatory afforestation proposed is without specific recommendation of the State Government.	सम्भल वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़ी भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो के रख–रखाव का आगणन अलग कर दिया गया है।
2	**S.No-19** As per the District Profile mentioned at Sr no. 14 of part II **(b)** The forest area of Social Forestry Division, Sambhal is mentioned as zero, then why proposal for forest land diversion has been sent ?	सम्भल वन प्रभाग के अन्तर्गत **आरक्षित वन भूमि शून्य** है। **अतः इसे डिस्टिक प्रोफाइल में शून्य दर्शाया गया है।** परन्तु प्रभाग के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 115.75हे0 है। इस प्रकार सम्भल जनपद के अन्तर्गत कुल वन भूमि 115.75हे0 है, जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या– 825 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि–वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

<u>प्रमाण पत्र</u>

सम्भल वन प्रभाग, सम्भल के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि नहीं है। जिसके कारण प्रस्ताव में **<u>आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल शून्य</u>** है व संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 115.75 हे0 है। **<u>इस प्रकार कुल वन भूमि का क्षेत्रफल 115.75 हे0 है।</u>**

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।